न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ. आरूषी मलिक आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 915/2020/(2020/00915) जिला–नागौर

1. रामनिवास पुत्र श्री रमजीराम जाट
2. रामलाल पुत्र सगराम जाति जाट
3. रामचन्द्र पुत्र स्व0 शंकर जाति जाट
4. चेनाराम पुत्र रामकरण जाति जाट
5. घेवरी पत्नि रामकरण जाति जाट समस्त निवासीगण लाम्पोलाई, तहसील रियांबड़ी जिला नागौर।

–––अपीलान्ट्स

बनाम

1. धन्ना पुत्र भोला जाति जाट निवासी लाम्पोलाई, तहसील रियांबड़ी जिला नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रियांबड़ी जिला नागौर।
3. पटवारी हल्का लाम्पोलाई, तहसील रियांबड़ी जिला नागौर।

–––––रेस्पोडेन्ट्स

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध नियम निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी दिनांक 29–06–2020 पत्रावली संख्या 47/2020 में पारित किया गया

————

उपस्थित–
1. श्री मनीष पाण्डिया अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1
3. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 व 3

निर्णय

दिनांक :– 14.09.2020

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लाम्पोलाई तहसील रियांबड़ी के खसरा नं0 920/1783, खसरा नं0 900, ख0नं0 899, ख0नं0 876, ख0नं0 897 व ख0नं0 898 की कुल 18 हैक्टेयर (110 बीघा भूमि) के अपीलार्थीगण खातेदार काश्तकार है। खसरा नं0 501 के खसरा नं0 907 व 908 कायम किये गये। खसरा नं0 907 के उत्तरी माठ के सहारे सहारे बने रास्ते को ही अपीलान्ट वर्षो से अपने खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु उपयोग व उपभोग

करते आ रहे है जो राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस से साबित है। रेस्पों0 सं0 1 धन्नाराम पुत्र भोला द्वारा उपखण्ड़ अधिकारी रियांबड़ी के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 19.06.2020 को अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना उक्त भूमि से रास्ता हटवाकर अपनी खातेदारी भूमि में दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पीडित खातेदारान को सुने बिना आनन–फानन में मात्र 12 दिन में पटवारी हल्का की रिपोर्ट जिस पर किसी काश्तकार के हस्ताक्षर नहीं है के आधार पर मौजा लाम्पोलाई की सरहद में स्थित अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि में काश्त के लिये आने जाने वाले रास्ते खसरा नं0 907 रकबा 0.35 हैक्टेयर के ट्रेस नक्शे में उत्तरी माठ के सहारे सहारे दर्शित रास्ते का अंकन हटाया जाकर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किये जाने का आक्षेपित आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के इसी आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत कर स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई चाही। प्रकरण में अपील के रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा भी केवियट प्रस्तुत की गई थी। लिहाजा अपील दर्ज कर प्रत्यर्थीगण/केवियटकर्ता को नोटिस जारी किये जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। नियत दिनांक को अपीलान्ट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई चाही गई, जिसका विरोध करते हुये उपस्थित रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा राजस्व बार एसो0 अजमेर द्वारा कार्य स्थगन एवं रेकार्ड आने का हवाला देते हुए अपील पर ही बहस सुने जाने का निवेदन किया तथा तारीख तब्दीली चाही गई। अभिभाषक रेस्पों. के निवेदन पर न्यायहित में तारीख तब्दील की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उपस्थित रेस्पो0 सं0 1 के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आज पुनः तारीख तब्दीली का निवेदन किया। जिसका अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा पुरजोर विरोध किया जाने पर रेस्पो0 सं0 1 का तारीख तब्दीली का निवेदन खारिज किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। सर्वप्रथम रेस्पों सं0 1 के अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी की अपील मयाद बाहर होने से मयाद बिन्दु तथा धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार को पक्षकार बनाने की अनुमति लिये बिना प्रस्तुत अपील, खारिज योग्य बताई। अपीलार्थीगण अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट्स को पक्षकार नहीं बनाया जाने से निर्णय दिनांक 29–06–2020 की जानकारी प्रार्थीगण को नहीं हो सकी। प्रार्थीगण दिनांक 31–08–2020 को अपनी खातेदारी भूमि में काश्त हेतु गये तो रेस्पो. सं0 1 द्वारा उक्त रास्ते से आने जाने से मना कर दिया ओर कहा कि उक्त रास्ते को बन्द किया जाकर राजस्व रेकार्ड में मेरी खातेदारी भूमि में मिलान करने का निर्णय हो चुका है तब प्रार्थीगण को इसकी जानकारी होने पर दिनांक 02.09.2020 को प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त कर जरिये अभिभाषक दिनांक 03.09.2020 को अपील प्रस्तुत की गई। जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। जानकारी के अभाव में हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम तथा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित फरमाई जावे।

हमने इन कथनों पर मनन किया रेकार्ड देखा। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम तथा धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया।

अपील बहस दौरान अपीलार्थीगण के अभिभाषक ने अपील कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट्स ग्राम रोही मोजा लाम्पोलाई तहसील रियाबड़ी के खसरा नं0 920/1783, खसरा नं0 900, ख0नं0 899, ख0नं0 876, ख0नं0 897 व ख0नं0 898 की कुल 18 हैक्टेयर (110 बीघा भूमि) के खातेदार काश्तकार है। खसरा नं0 501 के खसरा नं0 907 व 908 कायम किये गये। जिसमें खसरा नं0 907 के उत्तरी माठ के सहारे सहारे रास्ता बना हुआ है। अपीलान्ट्स वर्षो से अपने खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है जो राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस से भी साबित है। रेस्पों0 सं0 1 धन्नाराम पुत्र भोला द्वारा दिनांक 19.6.2020 को उपखण्ड़ अधिकारी रियाबड़ी के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत बिना अपीलान्ट्स को पक्षकार बनाये उक्त भूमि से रास्ता हटवाकर अपनी खातेदारी भूमि में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पीडित खातेदारान को सुने बिना आनन–फानन में मात्र 12 दिन में ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को फायदा पहूॅचाने की नियत से भू–सेटलमेन्ट के पूर्व अभिलेख का मूल्याकंन किये बिना पटवारी हल्का/तहसीलदार रियांबडी की रिपोर्ट जिस पर किसी काश्तकार के हस्ताक्षर नहीं है के आधार पर मौजा लाम्पोलाई की सरहद में स्थित अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि में काश्त के लिये आने जाने वाले रास्ते खसरा नं0 907 रकबा 0.35 हैक्टेयर के ट्रेस नक्शे में उत्तरी माठ के सहारे सहारे दर्शित रास्ते का अंकन हटाया जाकर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किये जाने का आक्षेपित आदेश पारित कर डिक्री जारी कर दी गई। जबकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधि0 के तहत पूर्ववत राजस्व रेकार्ड जिसमे लिपिकीय अशुद्धि हो उसे ही दुरूस्त किया जा सकता है। इस धारा के तहत डिक्री जारी नहीं की जा सकती। परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रास्ता/आराजी बाबत राजस्व रेकार्ड में कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं होने के बावजूद भी आक्षेपित निर्णय/डिक्री क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय/डिक्री पूर्णतया विधि विरूद्ध, दोषयुक्त एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियाबड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–06–2020 को अपास्त फरमाया जावे।

जबाब में उपस्थित रेस्पो0 सं0 1 के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार रियाबड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में मौके पर विवादित आराजी खसरा नं0 907 रकबा 0.35 हैक्टेयर ग्राम लाम्पोलाई से जैसास रोहिट मार्ग पर स्थित है। खसरा नं0 907 व 908 मौके पर एक दूसरे से लगते हुये है। मौके पर दोनो के बीच किसी प्रकार का रास्ता नहीं है। पुराने सैटलमेन्ट सम्वत् 1978–79 के नक्शा ट्रेस में भी किसी प्रकार के रास्ते का अंकन नहीं है। विवादित आराजी ख0नं0 907 रेस्पो. सं0 1 की खातेदारी भूमि है। राजस्व रेकार्ड में लिपिकीय त्रुटि से रास्ते का अंकन किया जाने से सक्षम न्यायालय में दुरूस्ती हेतु धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियाबड़ी द्वारा पारित निर्णय

दिनांक 29–06–2020 विधिसम्मत होने से अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व रेकार्ड में की गई लिपिकीय त्रुटि सक्षम न्यायालय द्वारा दोनो पक्षकारों की सहमति से दुरूस्त की जा सकती है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी को लिपिकीय त्रुटि या उभय पक्षकारान द्वारा सहमति पर ऐसी त्रुटि जहां पक्षकारान त्रुटि होना स्वीकार करते है, राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किये जाने का अधिकार है। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि कुल रकबा 18 हैक्टेयर (कुल 110 बीघा भूमि) में तथा अन्य काश्तकारों के आने जाने के उपयोग में लिये जाने वाले रास्ते को बिना पक्षकारान की सुनवाई के जानबूझकर रेस्पो. सं0 1 को फायदा पहुॅचाने की नीयत से बिना पड़ौसी काश्तकारो के हस्ताक्षर के बिना तैयार की गई पटवारी हल्का/तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधिक प्रावधानों के विपरित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड/मानचित्र में दुरूस्त किये जाने का निर्णय के साथ डिक्री जारी की गई है। जबकि धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत के निर्णय के साथ डिक्री जारी किये जाने का प्रावधान नहीं है।

section 136. -(1) The Land Record Officer at the time of correcting or causing to be corrected any clerical error and any error which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the cause of his inspection in any register, shall give notice to the parties interested in Form 7-A, calling upon them to appear in person or by pleader duly instructed, to submit that there has been clerical error or error.

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी द्वारा धारा 136 के उक्त प्रावधान को नजरअन्दाज कर प्रश्नगत रास्ता/आराजी के पीड़ित पक्षकारान को नोटिस जारी कर सुनवाई किये बिना आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है जो निम्न परिपेक्ष्य में विधिविरूद्ध होकर एक गम्भीर त्रुटि है :–

1. राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत लिपिकीय त्रुटि को उभय पक्षकारान की सहमति से ही राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है।
2. इस धारा के तहत डिक्री जारी किये जाने का प्रावधान नहीं है। डिक्री राजस्व वाद में ही पारित किये जाने का प्रावधान है।
3. राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत किये जाने का प्रावधान है।
4. मौजूदा प्रकरण में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के द्वारा अनेक काश्तकारों को अपनी आराजी पर आने जाने हेतु उपयोग में लिये जाने वाले एक–मात्र रास्ते को रेस्पो. सं0 1 की खातेदारी में मिलाकर रास्ते के सुखाधिकार से वंचित किया गया है।

5. काश्तकारो के अपनी खातेदारी भूमि के पहुंच मार्ग को रेस्पो0 सं0 1 की खातेदारी भूमि में मिलाने बाबत पारित आक्षेपित निर्णय नैसर्गिक व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं विधिक प्रावधानों के तहत अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय/डिक्री दिनांक 29.06.2020 को निरस्त किया जाता है। साथ ही पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रियांबड़ी श्री सुरेश कुमार द्वारा विधिक प्रावधानों को नजरअन्दाज कर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर डिक्री पारित किये जाने के कारण इनके विरूद्ध stricture पारित कर सक्षम स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर